मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2007 (फाल्गुन 21, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री रामदास चौधरी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा. तथा

(2) श्री नाथूराम अहिरवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगी.

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री -

(क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004,

पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश का पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा विधान सभा क्षेत्रवार परिणाम वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के एम.बी.सी. केनाल पर खड़े शीशम के वृक्षों की कटाई से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 158, विदिशा के सदस्य श्री गुरूचरण सिंह को विधान सभा के वर्तमान फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

6. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2007-2008 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ताराचन्द गोयल (मैकेनिक), सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम माकड़ोन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की नियुक्ति कराये जाने,
(ख) ग्राम पाट में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,
(ग) तराना नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ कराये जाने,
(घ) तराना नगर के उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,
(ङ) तराना नगर के तालाब की बाउन्ड्रीवाल का पुनर्निर्माण कराये जाने,
(च) ग्राम आसेर में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
(छ) तराना नगर में पी.डब्ल्यू.डी. आफिस के सामने पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(2) श्री रामदास उइके, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम मोरडोंगरी खुर्द में महिला ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
(ख) जुन्नारदेव नगर में मिनी आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
(ग) ग्राम घानाउमरी में पशु औषधालय खोले जाने,
(घ) ग्राम ढाकरवाड़ी में हाई स्कूल खोले जाने,
(ङ) ग्राम चटुआ व खैरवानी के बीच जलाशय का निर्माण कराये जाने,
(च) जुन्नारदेव चिखलमऊ से तामिया रोड तक बायपास मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(छ) ग्राम नौलाखापा के पास नदी पर रपटा सह स्टाप डेम बनाये जाने,
(ज) ग्राम हिनोतिया में विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति दिलाये जाने,
(झ) ग्राम आलीवाड़ा में नदी पर रपटा सह स्टाप डेम बनाये जाने, तथा
(ञ) ग्राम घानाउमरी में दुग्ध डेयरी खोले जाने,

(3) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब), सदस्य,सीधी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली में नर्सों की नियुक्ति कराये जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) तालाबों का गहरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) निवाड़ी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराये जाने,

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम चोरगवां माईनर नं.-2 में गोरमा बांध का पानी छोड़े जाने,
(ख) ग्राम घुरेहटा के सभी टोलों में विद्युत सप्लाई कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम पटेहरा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का नामकरण अमर शहीद अशोक कुमार पटेल के नाम पर किये जाने, एवं

(6) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम मालखेड़ा से जावी पहुँच मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) संशोधन, विधेयक, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

10. वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 मार्च, 2007